राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3301/2025

राम लखन वर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2), विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
3. श्रीमान निदेशक निदेशालय, शिक्षा विभाग, बीकानेर।
4. सयुंक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) जिला बूंदी।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.07.2025
आदेश की दिनांक : 14.07.2025

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, (अध्यक्ष)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी का चयन राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय भर्ती–2022. लेवल प्रथम के पद पर हुआ था। श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् बून्दी के पत्रांक 2125 दिनांक 26.05.2022 तथा श्रीमान् विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डौली जिला बूंदी के आदेश क्रमांक 1851 दिनांक 26.05.2022 के संन्दर्भ उसे राजकीय प्राथमिक विद्यालय खजूर का नाला, आवंटित हुआ था, जहाँ अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30.05.2022 को अध्यापक ग्रेड–3, लेवल–प्रथम पद पर कार्यग्रहण कर लिया गया। (अनुलग्नक–1 व 2) तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा पदस्थापित स्थान, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, खजूर का नाला, हिण्डौली, में अपनी सेवाएँ पूर्ण लगन मेहनत एवं निष्ठा के साथ की जा रही है तथा उच्च अधिकारीयों को कभी किसी प्रकार की शिकायत अपीलार्थी से नहीं रही बल्कि अपीलार्थी का कार्य प्रसंसनीय रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा अंग्रजी माध्यम विद्यालयों में राजस्थान सिविल सेवा (अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शते) नियम 2023 के तहत विभागीय कार्मिकों के चयन एवं पदस्थापन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया जिसमें उत्तीर्ण अध्यापकों द्वारा विकल्प प्रेषित किये गये। इसी क्रम में अपलार्थी

द्वारा भी अपनी पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए एवं अपने घर के निकटतम विद्यालय में पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत किये जिसमे स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, केशवराय पाटन, जिला बून्दी, प्रथम स्थान पर चयनित किया गया। (अनुलग्नक–3) दिनांक 30.06.2025 को निदेशालय शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा चयन सूची जारी कि गई जिसमे अपीलार्थी को क्रम संख्या 1223 से वर्तमान पदस्थापित विद्यालय खजूर का नाला से स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल केशवराय पाटन, बूंदी, (राज.) प्रदान किया गया। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी को ऑनलाईन आदेश दिनांक 30.06.2025 से स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा नवीन पदस्थापन स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल केशवराय पाटन, बूंदी. (राज.) के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया। जिसकी पालना में अपीलार्थी द्वारा नवीन स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया गया। (अनुलग्नक–5) विभाग द्वारा चयनित विकल्पों की विशिष्टी सही रूप में प्रस्तुत नहीं की गई जिसकी वजह से भ्रमित होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम स्थान पर मॉडल स्कूल, केशवराय पाटन का चयन किया गया क्योंकि केशवराय पाटन, कोटा मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। अपीलार्थी के माता–पिता गंभीर वृद्धावस्था रोगो से पिडित हैं जिनका निरन्तर ईलाज कोटा स्थित अस्पतालों में चल रहा है। इसके अतिरिक्त स्वयं अपीलार्थी भी स्पाईन न्यूरो रोग से ग्रसित है। जिसका ईलाज भी निरन्तर कोटा चल रहा है परन्तु विभाग की त्रुटि के कारण अपीलार्थी कोटा मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर विद्यालय में पदस्थापित हुआ है जिससे उसका ईलाज कराया जाना संभव नहीं है स्कूल परिवर्तित किया जाना आवश्यक है। (अनुलग्नक–7)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी का पदस्थापन पूर्व पद स्थापित विद्यालय राजकीय प्राथमिक स्कूल खजूर का नाला पंचायत समिति हिण्डोली जिला बूंदी, अथवा इच्छित/उपलब्ध अपीलार्थी के गृह से निकटतम विद्यालय में किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष